



# मथुरा पुलिस



थाना- छाता जनपद मथुरा ।

**OPERATION CONVICTION**

दिनांक:- 06.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी के परिवारीजन के साथ गाली गलौज करते हुये लाठी-डंडों के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देना व जान से मारने की धमकी देने वाले प्रत्येक अभियुक्तगण को 04-04 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान " ऑपरेशन कन्विक्शन " के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से \*थाना छाता मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 329/2016 धारा 308/323/324/325/34/504/506 भादवि में आज दिनांक 06.03.2026 को मा० न्यायालय एडीजे-01 मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक अभियुक्तगण 01.बृजभूषण पुत्र चरन सिंह 02.जवाहर पुत्र चरन सिंह व 03.नरेश पुत्र बृजभूषण समस्त निवासीगण सींगू थोक कस्बा व थाना छाता जनपद मथुरा को 04-04 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।